महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या– 552 / नौ–7–2021–11(ज0) / 2020

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1)निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
(2)समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(3)समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
(4)समस्त अधिशासी अधिकारी, न0पा0परि0 / न0पं0, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–7 **लखनऊ : दिनांकः 14 मई 2021**

विषयः नगरीय क्षेत्रों में शवों को नदियों में प्रवाहित करने से रोके जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या– एच0 61807 / सी0–2 / गंगा / 2021, दिनांक 13.05.2021 तथा अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1004 / एसीएस / 2021, दिनांक 14.05.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा नदियों में शवों के बहाये जाने से रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी है।

2. इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि पर्यावरण हित में नगरीय निकायों में हो रही मृत्यु के पश्चात् उनका अंतिम संस्कार विहित परम्परा यथा जलाने / दफनाने के अनुसार ही किया जाय, किसी भी स्थिति में शवों को न तो जल में प्रवाहित किया जाय और न ही जल समाधि दी जाय। उपर्युक्त व्यवस्था के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु समस्त नागर निकायों में निम्नवत समिति का गठन किया जाता है :–

नगर निगमों में	नगर पालिका परिषदों / नगर पंचायतों में
मा0 महापौर– अध्यक्ष	मा0 अध्यक्ष, न0पा0परि0 / नं0पं0– अध्यक्ष
नगर आयुक्त– संयोजक सचिव	अधिशासी अधिकारी– संयोजक सचिव
उपाध्यक्ष कार्यकारिणी समिति– सदस्य	सिविल अभियन्ता(सहायक / अवर)– सदस्य
मुख्य अभियन्ता सिविल / विद्युत यांत्रिक– सदस्य	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक – सदस्य संवर्ग का वरिष्ठ अधिकारी
नगर स्वास्थ्य अधिकारी– सदस्य	
मा0 महापौर द्वारा नामित 10 पार्षदगण– सदस्य	मा0 अध्यक्ष द्वारा नामित 10 पार्षदगण– सदस्य

3. समिति द्वारा अपने नगरीय निकायों में निगरानी करते हुये यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि निकाय के अन्तर्गत किसी भी स्थिति में शवों को न तो जल में प्रवाहित किया जाय और न ही जल समाधि दी जाय।

4. उक्त के क्रम में यह भी सूच्य हैं कि शासन के पत्र संख्या–536 / 9–7–2021–27 (ज) / 2014 टी0सी0–1 दिनांक 07.05.2021 द्वारा कोविड–19 के संक्रमण के कारण हुयी मृत्यु की दशा में नगरीय निकायों की सीमान्तर्गत उपरोक्त शवों के अन्तिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निःशुल्क कराये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं तथा यह सुनिश्चित किया गया है कि उक्त कार्यवाही हेतु होने वाला व्यय का वहन नगरीय निकायों द्वारा अपने स्वयं के

स्रोतों/राज्य वित्त आयोग की धनराशि से किया जा सकेगा। यह व्यय एक प्रकरण में अधिकतम रू0 5000/– तक होगा।

5. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी अपने निकाय के मा0 महापौर/मा0 अध्यक्ष को अवगत कराते हुये उपर्युक्तानुसार समिति का गठन दो दिवस के अंदर कर उक्त समिति की बैठक कराने एवं उक्त की सूचना दिनांक 18.05.2021 तक निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ (ई–मेल :– diruplb2020@gmail.com) को अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें। नगर आयुक्तगण उक्त सूचना शासन को भी (ई–मेल :–so.nagarvikas@gmail.com) उपलब्ध करायेंगे। निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ समस्त नगरीय निकायों से प्राप्त उक्त सूचना को संकलित कर शासन को दिनांक 18.05.2021 को उपलब्ध करायेंगे।

कृपया उपरोक्त कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर ली जाय, लापरवाही या कदाशयता की स्थिति में संबंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

आज्ञा से,

(डा0 इंद्रमणि त्रिपाठी)
विशेष सचिव।
14.5.21

कार्यालय
अपर मुख्य सचिव, गृह, गोपन, वीजा, पासपोर्ट, कारागार एवं सतर्कता विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

509, सी–ब्लाक लोक भवन, लखनऊ।

पo सं0: 1004 /एसीएस/2021 दिनांकः 14 मई, 2021

पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.

समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित कोविड–19 महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश में शवों को गंगा एवं यमुना नदी में बहाये जाने से रोके जाने विषयक उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या एच61807/सी–2/गंगा/2021 दिनांक 13.05.2021 (प्रतिलिपि संलग्न) एवं जनपदों से प्राप्त आख्या का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

कृपया आज टीम–9 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार पी.ए.सी. की समस्त जल पुलिस कम्पनियों एवं एस.डी.आर.एफ. की टीम को आज ही गंगा नदी/यमुना नदी एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे इस प्रकार तैनात करें जिससे कि इन नदियों में बिना अंत्येष्टि के शवों को बहाये जाने की कोई कार्यवाही न हो सके एवं यदि नदी में शव पाये जाते हैं तो उनको तत्काल चिन्हित करके सम्मानजनक निस्तारण करने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जा सके।

संलग्नकः यथोक्त।

14.05.2021
(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव
गृह, गोपन, वीजा पासपोर्ट
कारागार एवं सतर्कता विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज/नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को टीम–9 की बैठक के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, पी.ए.सी., उत्तर प्रदेश।
3. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

14.05.2021
(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव
गृह, गोपन, वीजा पासपोर्ट
कारागार एवं सतर्कता विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No.: HG1807/C-2/Ganga/2021

दिनांक
Date : 13-05-2021

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

विषयः–कोविड–19 महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश में शवों को गंगा एवं यमुना नदी में बहाये जाने से रोके जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र सं0 19110/WQ/WQM-II/CPCB/2021-22 दिनांक 13.05.2021 का संदर्भ ग्रहण करें (प्रति संलग्न)। उक्त पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि कोविड–19 महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश में गंगा एवं यमुना नदियों में शवों को प्रवाहित किये जाने की घटनाये प्रकाश में आयी हैं, जिसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गम्भीरता से लिया गया है। उक्त शवों का कोविड–19 वायरस से ग्रसित होना सम्भावित है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शवों को नदियो में बहाये जाने के कारण नदियों के कैचमेंट क्षेत्र में कोविड–19 वायरस से जनमानस में बीमारी फैलने एवं नदियों का जल प्रदूषित होने की आशंका व्यक्त की गयी।

अतः इस सम्बंध में आपसे अनुरोध है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाली गंगा नदी/यमुना नदी एवं इसकी सहायक नदियों में शवों के बहाये जाने से रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें। साथ ही इसका नियमित रूप से सतत् अनुश्रवण कराते हुए यह सुनिनिश्चत करें कि नदियों में शवों के बहाये जाने की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस सम्बंध में कृत कार्यवाही की रिपोर्ट उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि–

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली को अर्द्धशासकीय पत्र सं0 19110/WQ/WQM-II/CPCB/2021-22 दिनांक 13.05.2021 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस अनुरोध के साथ कि प्रदेश में शवों को गंगा एवं यमुना नदी में बहाये जाने से रोके जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
3. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि अपने क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित नदियों का नियमित रूप से अनुश्रवण सुनिश्चित करें तथा शवों के प्रवाहित होने की घटना प्रकाश में आने पर जिला प्रशासन के सहयोग से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

सदस्य सचिव

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with CamScanner

शिव दास मीना, भा.प्र.से.
अध्यक्ष
Shiv Das Meena, I A S.
Chairman

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE, GOVT OF INDIA

DO. No. 19110/ WQ/WQM-II/CPCB/2021-22
Date: May 13th , 2021

Dear Shri Rathore,

Sub: Disposal of dead bodies into river Ganga and Yamuna as Covid-19 cases surge in the nation.

Recently the news of floating dead bodies in River Ganga in the stretches of Uttar Pradesh and Bihar and in river Yamuna in the stretch of Uttar Pradesh have been reported amid the surge in coronavirus infection in the country. There is also a speculation that the bodies might be infected with the highly contagious covid-19 virus, and may lead to infection among the residents and their cattle living along the banks of these rivers. The decomposition of dead bodies in rivers may also affect the river quality.

I would, therefore, request you to kindly direct the concerned local administrations of the districts located on the banks of river Ganga and Yamuna in your State to investigate the matter, provide details of such events, and also ensure necessary action to prevent further occurrence of such events.

You are further requested to assess the impact of these incidences on the water quality of the rivers in your State and submit status report to CPCB within 15 days.

With regards

Yours sincerely

(Shiv Das Meena)

To,
Shri J.P.S. Rathore
Chairman, Uttar Pradesh Pollution Control Board
Building No. TC-12V,Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow – 226 010

'परिवेश भवन' पूर्वी अर्जुन नगर दिल्ली-110 032, भारत
'Parivesh Bhawan', East Arjun Nagar, Delhi-110 032, India
Tel. +91-11-22307233, Tele Fax : +91-11-22304948, e-mail: ccb.cpcb@nic.in

शवों का अन्तिम संस्कार
अति महत्वपूर्ण
संख्या–536/9–7–2021–27(ज)/2014टी0सी0–1

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
नगर विकास विभाग
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, न0पा0परि0/नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–7 लखनऊ : दिनांकः 07 मई, 2021

विषयः कोविड–19 संक्रमण के कारण हुई मृत्यु की दशा में शवों का निःशुल्क अन्तिम संस्कार किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा– 114(20) तथा उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम– 1916 की धारा– 7(G) में दी गयी व्यवस्थानुसार नगरीय निकाय की सीमा के अन्तर्गत मृतकों के अन्तिम संस्कार हेतु अन्त्येष्टि स्थलों, कब्रिस्तानों एवं शवदाह गृहों की व्यवस्था करना नगरीय निकायों का मूल कर्तव्य है।

2. अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि कोविड–19 के संक्रमण के कारण हुयी मृत्यु की दशा में नगरीय निकायों की सीमान्तर्गत उपरोक्त शवों के अन्तिम संस्कार निःशुल्क कराया जाय। अन्तिम संस्कार में कोविड–19 के प्रोटोकाल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। उपरोक्त कार्यवाही हेतु होने वाला व्यय का वहन नगरीय निकायों द्वारा अपने स्वयं के स्रोतों/राज्य वित्त आयोग की धनराशि से किया जा सकेगा। यह व्यय एक प्रकरण में अधिकतम रू0 5000/– तक होगा।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–536(1)/नौ–7–2021

प्रतिलिपि–निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
07.05.2021
(कल्याण बनर्जी)
उप सचिव।

so 7 vivek 3